

प्रेषक,

संजीव सरन,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु०-1

लखनऊ: दिनांक: 31 जनवरी, 2018

विषय: "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के बिन्दु 5.6 बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र हेतु विशेष प्रोत्साहन के अन्तर्गत प्रस्तर 5.6.3 इण्डिया बी.पी.ओ. प्रमोशन स्कीम के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1133/78-1-2017-25/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2017 द्वारा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016" को अवक्रमित करती है।

2- "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017" के बिन्दु 5.6 बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र हेतु विशेष प्रोत्साहन के अन्तर्गत प्रस्तर 5.6.3 इण्डिया बी.पी.ओ. प्रमोशन स्कीम में निम्नवत् व्यवस्था की गई है:-

5.6.3 इण्डिया बी.पी.ओ. प्रमोशन स्कीम।

• राज्य सरकार द्वारा बी.पी.ओ. इकाइयों को इण्डिया बी.पी.ओ. प्रमोशन योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक सीट हेतु निहित पूंजीगत व्यय पर, 50 प्रतिशत पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा।

3- डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा इण्डिया बी.पी.ओ. प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में 8,800 सीट्स के बी.पी.ओ. की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा इसके लिए भारत सरकार द्वारा पूंजीगत अनुदान परिचालन व्यय की सहायता प्रदान की जाती है। बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र में भारत सरकार की इण्डिया बी.पी.ओ. प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत बी.पी.ओ. की स्थापना के इच्छुक इकाइयों को प्रत्येक सीट हेतु निहित पूंजीगत व्यय पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पूंजीगत उपादान के 50 प्रतिशत के समतुल्य पूंजी उपादान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा।

4- उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को प्रत्येक सीट हेतु निहित पूंजीगत व्यय पर, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पूंजीगत उपादान के 50 प्रतिशत के समतुल्य पूंजी उपादान प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगी:-

3.1 इण्डिया बी.पी.ओ. प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत पूंजी उपादान का विवरण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3.1.1 यह उपादान इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से, भारत सरकार द्वारा संचालित योजना की अवधि अथवा 31 मार्च 2022 जो भी पहले हो, को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर बी.पी.ओ. की स्थापना करने वाली इकाइयों को अनुमन्य होगा।
- 3.1.2 यह उपादान केवल बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र में स्थापित बी.पी.ओ. इकाइयों को अनुमन्य होगा।
- 3.1.3 यह उपादान उन्हीं इकाइयों को प्राप्त होगा, जिन्हें भारत सरकार की इण्डिया बी.पी.ओ. प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत बी.पी.ओ. की स्थापना हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ हो।
- 3.1.4 पात्र इकाइयों को यह प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति के लिए यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, कार्यदायी संस्था होगी।
- 3.2 इण्डिया बी.पी.ओ. प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत पूंजी उपादान प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया
- 3.2.1 यह प्रोत्साहन पात्र इकाइयों को केस-टू-केस आधार पर परीक्षण उपरान्त प्रदान किया जायेगा।
- 3.2.2 इण्डिया बी.पी.ओ. प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत पूंजी उपादान प्राप्त करने के लिए इकाई द्वारा अनुलग्नक-अ पर आवरण पत्र सहित, निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-ब) पर प्रस्तुत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ निम्न अभिलेख संलग्न किये जाने आवश्यक हैं:-
- 3.2.2.1 इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश/ पत्र संख्या 11(24)/2014-आईपी:एस.एण्डआई.टी.एस दिनांक 16 अगस्त 2017, अथवा समय-समय पर यथासंशोधित, के अन्तर्गत आवेदक इकाई को बी.पी.ओ. इकाई की स्थापना हेतु प्राप्त अनुमति-पत्र/अनुमोदन की प्रति।
- 3.2.2.2 आवेदक इकाई के पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति
- 3.3 प्रोत्साहन की स्वीकृति की प्रक्रिया
- 3.3.1 कार्यदायी संस्था द्वारा, इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।
- 3.3.2 इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था द्वारा इकाई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त सूचनाओं/ विवरण की मांग की जा सकती है। कार्यदायी संस्था द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।
- 3.3.3 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को इण्डिया बी.पी.ओ. प्रमोशन स्कीम के अन्तर्गत पूंजी उपादान अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था की संस्तुति अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ प्रेषित की जायेगी।
- 3.3.4 नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त संस्तुति पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा और तद्विषयक उपयुक्त आदेश निर्गत किया जायेगा।
- 3.4 प्रोत्साहन अवधि  
इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से, भारत सरकार द्वारा संचालित योजना की अवधि अथवा 31 मार्च 2022 जो भी पहले हो, को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर, उपादान अनुमन्य होगा।
- 3.5 पात्र इकाई के दायित्व  
पूंजी उपादान हेतु प्रोत्साहन की प्राप्ति के लिए पात्र इकाई द्वारा उन सभी अनुबन्धों तथा अभिलेखों को निष्पादित किया जायेगा, जो कार्यदायी संस्था के मतानुसार आवश्यक हो। वह सभी सूचनायें कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी, जो उनके द्वारा अपेक्षा की जाये।
- 3.6 आच्छादन  
उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र
- 3.7 परिभाषायें  
एतद्वारा संलग्न, परिशिष्ट-1 के अनुसार
- 3.8 न्यायालय का क्षेत्राधिकार  
किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

### 3.9 प्रोत्साहन अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड

आवेदक इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि उसके द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर प्रोत्साहन धनराशि प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

4- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 में निहित व्यवस्थानुसार, किसी भी इकाई को समस्त स्रोतों से अनुमन्य होने वाला वित्तीय प्रोत्साहन, उस इकाई के स्थिर पूंजी निवेश के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भक्तदीप,

( संजीव सरन )  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-138(1)/78-1-2018 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन
- 2 प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन
- 3 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0
- 4 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
- 5 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
- 6 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन
- 7 कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ
- 8 आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उत्तर प्रदेश
- 9 निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन
- 10 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि0, श्रीट्रान इण्डिया लि0, लखनऊ

आज्ञा से

( हरी राम )  
अनु सचिव।